

महोदय जी,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निवेदन है कि ग्राम - प्रापपुरा जमा.संवत् 2073-76
खता सं. 66 में रदन - बू.चि.सै.ग्रा. बैंक शाखा बोरख दर्ज
रेकार्ड है। जताकि शाखा प्रबंधक ज. राज. सै. ग्रा. बैंक शाखा
बोरख के अनुसार उक्त बैंक का नाम परिवर्तित होकर ज. राज.
सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरख के ही गंधा है। अतः रदन - बू.चि.सै.
ग्रा. बैंक शाखा बोरख के बजाय रदन - ज. राज. सै. ग्रा. बैंक
शाखा - बोरख किया जाना उचित है।

पटवारी 16/05/18
नामोपि

रावत
रावत नाटा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी दब्बा / JLR बोरख अनुसार पताबन्दी खाते में
दर्ज बू. चि. सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरख का नाम शाखा प्रबंधक
बोरख अनुसार बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा
बोरख किया जाना पुस्तावित है।

तहसीलदार (भू. अ.)
रावत नाटा

प्रा.पत्र 143
16/05/18

आदेश

दृष्टव शय तहसीलदार राजस्थान के आधार पर
केवल प्रापपुरा की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता
सं. 66 में बू.चि.सै.ग्रा. बैंक शाखा बोरख के बजाय
ज. राज. सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरख दर्ज किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं।

रावत